रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2654] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2017/भाद्र 23, 1939
No. 2654] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2017/BHADRA 23, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2017

का.आ. 3031(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1274(अ) तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, आसाधारण में प्रारूप अधिसूचना, उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को 31 मार्च, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, कर्नाटक राज्य के चमराजनगर जिले (हनुर ताल्लुक) में स्थित मलाई महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य, जिसे अधिसूचना सं. एफईई 90 डब्ल्यू एल 2013, तारीख 7.5.2013 द्वारा अधिसूचित किया गया था, उत्तरी अक्षांश $11^{0}44'54.29''$उ से $12^{0}9'32.51''$उ और पूर्वी देशांतर $77^{0}15'28.54''$पू से $77^{0}40'6.35''$पू के बीच स्थित है और 906.187 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के सवाना वनस्थली वनों का महत्वपूर्ण भाग है और हाथी परियोजना द्वारा घोषित मैसूर हाथी रिजर्व का भी भाग है जो अभयारण्य के पारिस्थितिक महत्व का वर्णन करने वाले एशियाई हाथियों की अच्छी सघनताओं का अवलंभ देता है और हाल ही में बाघों को भी इस वन्य जीव अभयारण्य में प्रलेखीकृत किया गया है;

और, अभयारण्य की पश्चिमी दिशा बहुत संकुचित गलियारे से होती हुई बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर बाघ रिजर्व से जुडी हुई है, दक्षिणी दिशा सत्यमंगलम बाघ रिजर्व (1,411.6 वर्ग किलोमीटर) से जुडा हुआ है और पूर्वी भाग उत्तरी बारागुल आरक्षित वन (451.5 वर्ग किलोमीटर) से जुडा हुआ है जिनमें से दोनों तमिलनाडु में है जो 3,000 वर्ग किलोमीटर में व्यापक प्रजातियों के लिए ऐसा समीपस्थ आश्रय है जो देश में विशालतम आश्रय है जहां कुछ बडे स्तनपायी पाए जाते हैं जिनमें बाघ, चीता, जंगली कुत्ता, लक्डबग्घा, रीछ, हाथी, गौर, सांभर, चीतल और चौसिंगा हिरण भी हैं, ऊदबिलाव और दलदली मगरमच्छ दो महत्वपूर्ण नदीय वन्यजीव प्रजातियां है तथा अभयारण्य संकटग्रस्त मीन दक्कन महाशीर के लिए भी प्रसिद्ध है। नदी पालार अभयारण्य के बीच से बहती है और अभयारण्य की पूर्वी दिशा पर अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है , और अभयारण्य के भीतर 19 अनुलग्नक ग्राम है;

और, मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति की आरईटी प्रजातियां बिल्पापात्र (*एग्लेमेर्मेलोस*), दिंदिगा (*एनोगलिसियसलिटिफ़ोलिया*), मुटुगा (*बुटीमोनोस्पर्मिया*), उरुगुगु (*चोलओक्सिलोन स्विससिनेशिया*), बीट (*डाल्बर्गियालाटीफोलिया*), कामारा (*हार्डवीइकेबिनाटा*), होनने (*पेटरोकार्पसमारस्यूपियम*), शृगंध (*सांतल्यूम एल्बम*), सागाडे (*श्लेएचेराओलोसा*), मैटी (*टर्मिनलियाटोमेंटोसा*) , तारे (*टर्मिनलियाबेलिरिका*), हेल, हलगोरि (*राइटिएटिंटरिया*), जलारी (*शोरिया*) आदि, पाये जाते हैं।

और, मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों और सरीसृपों की आरईटी प्रजातियां भारतीय जंगली कुत्ता या धोले (*क्योन अलपाइनस*), गोल्डन सियार (*कैनीसौरेस*), धारीदार लकड़बग्धा (*हायना हायना*), रीछ (*मेलुरसुसरसिनस*), जंगली बिल्ली (*फेलिसचाउस*), रस्टी-स्पॉटेड बिल्ली (*प्रीओनैलुरुसरुचबिगिनोसस*), स्मूद-कोटेड ऊदबिलाव (*लुटरोगालेपेरस्पेसिलाटा*), ओरिएंटल छोटे पंजे ऊदबिलाव (*एओनीक्साइनेरेआ*), सामान्य ऊदबिलाव (*लुट्रालुट्रा*), हनी बैजर (*मेल्लिओराक्पेनसिस*), भारतीय साही (*हाइस्ट्रीक्स इंडिका*), भारतीय साल (*मैनिसकासिकाउडाटा*), छोटा भारतीय मुसंग (*वीवरिकुलैनिडेका*), सामान्य मुसंग (*पैराडोक्सुरस हेर्मैफ्रोडिक्स*), रूडी नेवला (*हर्पेस्टेस्मिथी*), स्ट्राइप-नेक्ड नेवला (*हर्पेस्टेस्विटिकोलिस*), ग्रे नेवला (*हर्पेस्टेस्डेडर्सि*), एशियाई हाथी (*एलिफ्समेक्सिमस*), गौर (*बॉस्गोरस*), सांभर (*रुसा यूनीक्लोर*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), चौसिंगा हिरण (*टेट्रासरुस्काड्राक्रॉर्निस*), काला हिरण (*एन्टीपेसिरविकापरा*), जंगली सुअर (*सुसस्क्रोफा*), भारतीय मुंटजैक (*मुंटीकुसमुंटजैक*) भारतीय चित्तीदार मूषक मृग (*मोसचिओलांडिका*), दक्षिणी मैदानी ग्रे लंगूर (*सेम्नोपिथेकुसड्युमिएरी*), लघु पुच्छ वानर (*मकाकाराडियाटा*), ब्लैक नेप्ड खरगोश (*लेपुसनिगरिकोलिस*), विशालकाय गिलहरी (*रेटुफामाक्रोउरा*), भारतीय विशाल फ्लाइंग गिलहरी (*पेटुरिस्ताफिलिपेंसिस*), मद्रास ट्री श्रेव (*अनथानेलियॉटी*), मार्श मगरमच्छ (*क्रोकोडायलिस्पालस्टिस*), भारतीय मॉनिटर छिपकली (*वाराणसबेंगलेंसिस*), डेक्कन माहसिर (*टोर खुदरी*), भारतीय लोमड़ी (*वल्पसबेंग्लांसिस*), भूरा नेवला (*हेर्पेस्टेसप*) आदि, पाये जाते हैं।

और, मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, और पारिस्थितिक पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 0.45 किलोमीटर से 4.20 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को मलाई महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**.— (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 143.12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसका विस्तार मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 0.45 किलोमीटर से 4.20 किलोमीटर के बीच है और ऐसे जोन की सीमाओं के ब्यौरे सहित **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है । मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के चमराजनगर जिले के कोलेगल तालुक में 8 राजस्व ग्राम और 18 संलग्न ग्राम आते हैं। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य और बीआरटी बाघ आरक्षिती के पारिस्थितिक संवेदी जोन की मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के निकट ग्रामों अतिव्याप्ति है, जो कि मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित नहीं है। मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्तर्गत आरक्षित वन नहीं है।

(2) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है ।

(3) मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य बिंदुओं के भू निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले 26 ग्रामों की सूची (संलग्न एवं राजस्व ग्राम) और क्षेत्रों का विवरण **उपाबंध IV** में दिया गया है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागबानी ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों क्षेत्रो के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और योजना को विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्र द्वारा समर्थित किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित कार्यकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-विस्तारी होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्य करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**—राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुख सुविधाओं में सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

(ग) परंतु यह और कि किसी जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के संबद्ध क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, या तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के ठीक किए जाने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को ठीक करना इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.**—आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन.**—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंध, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन को पहचान की गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**—जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन को पहचान की गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय संचलन आवास - अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने के समय तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी, आदि हैं ।

(16)**औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्हीं नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केवल गैर प्रदूषण कारी उद्योग, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत में उद्योगों के वर्गीकरण अनुज्ञा तब तक दी जाएगी जब तक इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को इंगित करेगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या उच्च डिग्री के साथ ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) यदि वह यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपायों को विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) और उनमें किए गए संशोधनों सहित अन्य लागू विधियों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी प्रतिषिद्ध है; (ख) खनन संक्रियाएं, रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अनुसार की जाएंगी।

2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि आदि,) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार सिर्फ गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को तब तक अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं । परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।
11.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और फर्मों, कारपोरेट द्वारा कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण;

		(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन, जिस में गृह वास भी सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलाप : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) यह एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतो में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपायों के साथ, किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपायों के साथ, किए जाएंगे।
19.	गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	खुले कुआं, बोर कुआं, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
34.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निगरीनी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(i) क्षेत्रीय आयुक्त , मैसूर - - अध्यक्ष;

(ii) जिला चमराज नगर, हनूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व - सदस्य;

(iii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व - सदस्य;

(iv) शहरी विकास विभाग कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व - सदस्य;

(v) प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनो (जिसके अन्तर्गत अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधित्व - सदस्य;

IndiaCode

(vi) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर - सदस्य;

(vii) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला कर्नाटक के ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक में एक विशेषज्ञ – सदस्य;

(viii) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, चमराजनगर –सदस्य;

(ix) जैवविविधता विशेषज्ञ –सदस्य;

(x) उप वन संरक्षक, मलाई महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य, कोलेगल - सदस्य सचिव;

टिप्पण : कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के सभापति की अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करने के अधीन।

6. निर्देश का निबंधन.—

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) समिति का कार्यकाल तीन साल या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के गठन तक होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/162/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के किनारे (बाहरी) में बहुत से ग्राम क्षेत्र है जो मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में शामिल माने जाते है पहले से बी.आर.टी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के पूर्वी भाग पारिस्थितिक संवेदी जोन में शामिल है और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी भाग (कुछ भाग) एवं मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का शेष उत्तरी भाग कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के समीप है। संपूर्ण मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का दक्षिण भाग अंतर-राज्य सीमा कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के बीच है। अतः तमिलनाडु वन विभाग प्राधिकारी ने पारिस्थितिक संवेदी जोन के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के पत्र सं. एफ. एम 1-9/2007 डबल्यू एल. आई (पी.टी) दिनांक 09.02.2011 के द्वारा अनुरोध किया है इसके अतिरिक्त, तीन आरक्षित वन एवं हानुर आरक्षित वन के द्वारा अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन पारिस्थितिक अखंडता में मलाई वन्यजीव अभयारण्य का गठन किया गया है।

मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में राजस्व क्षेत्रों में सम्मिलित है जिनको दे भागों में विभक्त किया गया है अर्थात्- भाग- I एवं भाग- II यह दो भाग अलग-अलग है कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का भाग हानुर आरक्षित वन के उत्तरी भाग में मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा आरक्षित वन के उत्तरी भाग में मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा हानुर आरक्षित वन के उत्तरी भाग पर मिला है।

दक्षिण : सीमा बिंदु हानुर आरक्षित वन के पूर्वी भाग पर बिंदु निर्देशांक उ 12^{0}02' 49" पू 77^{0}17' 16" के साथ आरंभ होकर और हानुर ग्राम की दक्षिण सीमा के साथ होते हुए बाहरी सीमा की सर्वे सं. 355, 175, 176, 147, 150, 198, 200, 201, 14, 204, 203, 205, 221, 168, 222, 234 और 235 पश्चिम की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12^0 02' 58" पू 77^0 15' 51" के साथ सामान्य ग्राम सीमा पर अर्थात हानुर एवं बेलाथूर ग्रामों के सर्वे सं. 235 एवं 167 के जंक्शन बिंदु पहुंचती है।

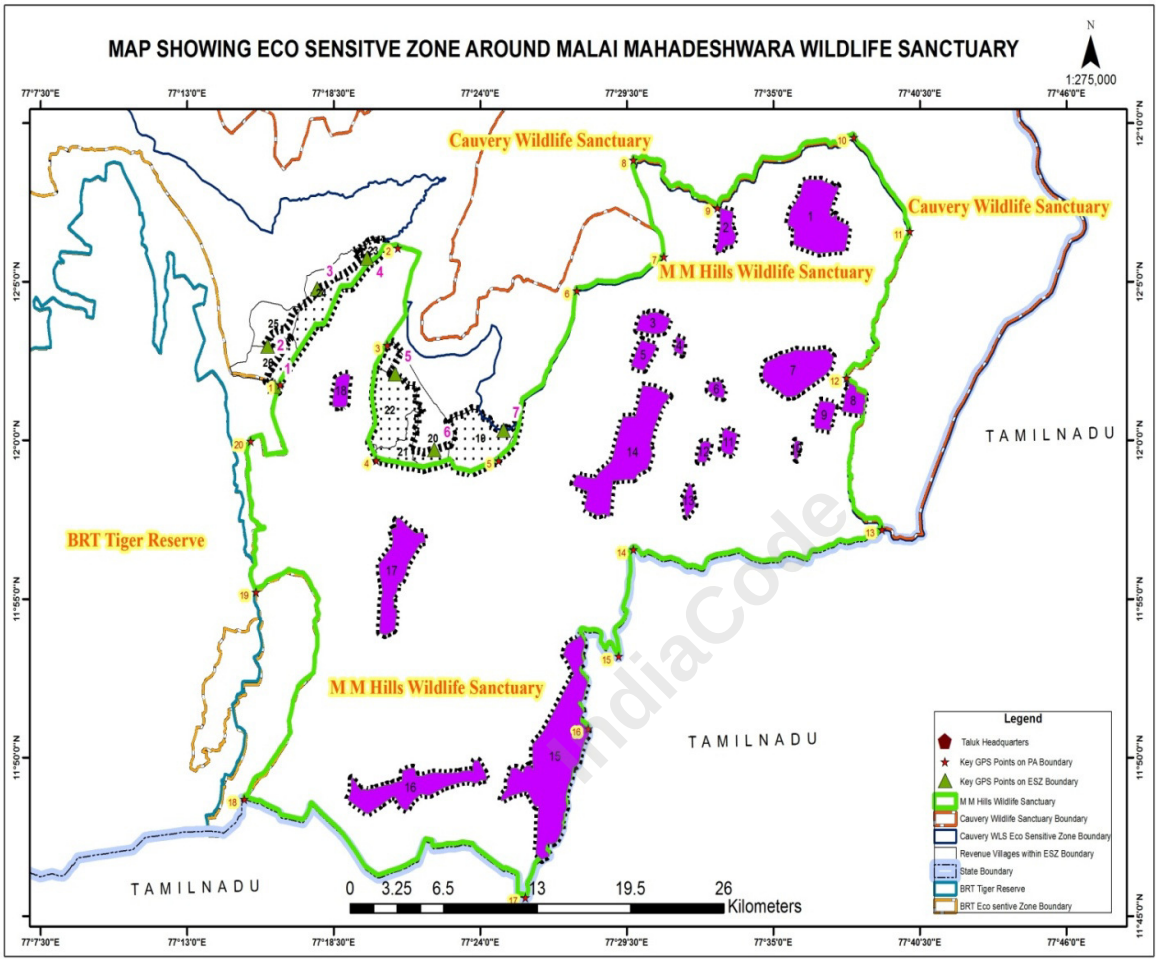
पश्चिम : निर्देशांक के ऊपर से सीमा हानुर नगर के लोक्कानाहल्ली हानुर मुख्य जिला सड़क के साथ उत्तर-पूर्व दिशा में जाती है फिर यह बेलाभूर, हानुर एवं उद्दानूर ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुंचती है इस बिंदु से रेखा हानुर ग्राम से होते हुए उसी सड़क के साथ इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व दिशा में जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12^0 04' 50" पू 77^0 18' 02" के साथ बिंदु पहुंचती है। इस बिंदु से रेखा पुनः उत्तर पूर्व दिशा में काउदल्ली के उसी सड़क के साथ जाती है फिर यह हानुर एवं दोद्दामरीदेवारायसमुनद्रा ग्रामों की सामान्य ग्राम सीमा पर हानुर ग्राम के सर्वे सं. 496 एवं 412 दोद्दामरीदेवारायसमुनद्रा ग्राम के संर्वे सं. 213 के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुंचती है। इसके बाद रेखा कुछ दूरी पर उत्तर की ओर जाती है और इसके बाद अंतर-ग्राम सीमा के पश्चिम की ओर के साथ हानुर ग्राम के उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12^0 05' 58" पू 77^0 19' 16" के साथ प्रवाह के बिंदु पहुंचती है।

उत्तर : इसके बाद रेखा दिद्दामरीदेवारायसमुनद्रा, बथुगुप्पा एवं चेनगराहल्ली ग्रामों की सामान्य ग्राम सीमा के प्रवाह के साथ जाती है फिर यह उ 12^0 06' 22" पू 77^0 20' 27" बिंदु के साथ पहुंचती है इसके बाद रेखा कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के साथ दक्षिणा की ओर उतरकर हानुर आरक्षित वन के अधिकांश टिप के उत्तर पूर्वी पहुंचती है।

उत्तर एवं पूर्वः बिंदु हानुर आरक्षित वन की सीमा पर बिंदु निर्देशांक उ 12^0 03' 09" पू 77^0 20' 30" के साथ आरंभ होकर और इसके बाद हानुर रामापुरम सड़क के साथ दक्षिण के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा पुनः जाती है फिर यह सामान्य ग्राम अज्जीपुरम एवं रामापुरम ग्रामों की सीमा पर बिंदु निर्देशांक उ 12^0 00' 38" पू 77^0 22' 46" के साथ पहुंचती है इसके बाद रेखा सामान्य ग्राम अज्जीपुरम एवं रामापुरम की सीमा के साथ उत्तर पूर्व दिशा के साथ पुनः जाती है फिर यह अज्जीपुरम, रामापुरम एवं चेनगाराहल्ली ग्रामों के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुंचती है इसके बाद रेखा सामान्य ग्राम रामापुरम एवं चेनगाराहल्ली की सीमा के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा में उतरकर फिर यह बिंदु के निर्देशांक उ 12^0 00' 43" पू 77^0 24' 05" के साथ पहुंचती है। इसके अतिरिक्त, सीमा रेखा रामापुरम एवं चेनगाराहल्ली की सामान्य ग्राम सीमा के साथ पुनः जाती है फिर यह इदायाराहल्ली आरक्षित वन सीमा पर चेनगाराहल्ली एवं रामापुरम ग्रामों के अधिकांश टिप उत्तर पूर्वी निर्देशांक उ 12^0 00' 28" पू 77^0 25' 28" के साथ पहुंचती है।

उपाबंध II

मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर मुख्य बिंदुओं के भू निर्देशांकों के दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	12° 01' 45"	77° 16' 29"
2	12° 06' 03"	77° 20' 54"
3	12° 03' 00"	77° 20' 30"
4	12° 59' 22"	77° 20' 05"
5	12° 59' 21"	77° 24' 41"
6	12° 04' 42"	77° 27' 37"
7	12° 05' 47"	77° 30' 53"
8	12° 08' 50"	77° 29' 45"
9	12° 07' 19"	77° 32' 54"

10	12° 09' 33"	77° 38' 01"
11	12° 06' 35"	77° 40' 07"
12	12° 01' 58"	77° 37' 44"
13	12° 57' 11"	77° 39' 39"
14	12° 56' 56"	77° 29' 45"
15	12° 53' 11"	77° 29' 11"
16	12° 50' 54"	77° 28' 03"
17	12° 45' 34"	77° 25' 41"
18	12° 48' 40"	77° 15' 08"
19	12° 55' 12"	77° 15' 34"
20	12° 59' 57"	77° 15' 22"

मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य बिंदुओं के भू निर्देशांकों के दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	12° 01' 31"	77° 16' 25"
2	12° 02' 18"	77° 14' 35"
3	12° 04' 55"	77° 15' 41"
4	12° 05' 00"	77° 18' 23"
5	12° 05' 58"	77° 19' 14"
6	12° 06' 21"	77° 20' 28"
7	12° 02' 56"	77° 20' 39"
8	12° 00' 09"	77° 23' 13"
9	12° 59' 49"	77° 24' 24"

उपाबंध IV

मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के कोलेगल तालुक के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित 26 ग्राम (18 संलग्न ग्राम सम्मिलित है) । पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल भौगोलिक क्षेत्र 143.12 वर्ग किलोमीटर है। मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों और संलग्न ग्रामों का विवरण

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	तालुक	जिला	विस्तार (हेक्टेयर)	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणियां
					डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	
1	रामापुरम	कोलेगल	चमराजनगर	1062.68	12	0	59.57	77	23	40.72	आंशिक ग्राम
2	अज्जीपुरम	कोलेगल	चमराजनगर	366.1	11	59	22.80	77	22	0.92	आंशिक ग्राम
3	गनगानदोद्दी	कोलेगल	चमराजनगर	408.307	12	0	42.82	77	21	39.48	आंशिक ग्राम
4	सुलेरिपालाइयम	कोलेगल	चमराजनगर	1051.38	12	1	41.61	77	21	34.68	आंशिक ग्राम
5	दोद्दामरीदेवारायस मुनद्रा	कोलेगल	चमराजनगर	172.584	12	6	8.92	77	19	39.05	आंशिक ग्राम
6	हानुर	कोलेगल	चमराजनगर	812.965	12	4	46.80	77	17	52.52	आंशिक ग्राम
7	बेलात्तुर	कोलेगल	चमराजनगर	180.748	12	3	39.86	77	16	11.79	आंशिक ग्राम

IndiaCode

8	सिरागोदु	कोलेगल	चमराजनगर	292.5	12	1	52.40	77	16	25.40	आंशिक ग्राम
9	पोन्नाची	कोलेगल	चमराजनगर	1270.9	12	7	4.68	77	37	2.00	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
10	चेन्गादी	कोलेगल	चमराजनगर	209.558	12	6	48.12	77	33	25.28	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
11	ओदाकिहल्ला	कोलेगल	चमराजनगर	209.403	12	4	2.16	77	30	33.20	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
12	इलचिकेरे	कोलेगल	चमराजनगर	45.777	12	3	7.80	77	31	39.80	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
13	विदाराहल्ली	कोलेगल	चमराजनगर	170.615	12	2	43.68	77	29	48.92	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
14	कोक्कुबोरे	कोलेगल	चमराजनगर	78.345	12	1	36.86	77	32	52.01	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
15	मलाईमहादेश्वरा	कोलेगल	चमराजनगर	894.974	12	2	50.88	77	35	56.12	***पूर्ण ग्राम (संलग्न)**
16	इंदीगांथा	कोलेगल	चमराजनगर	185.734	12	1	47.88	77	37	53.84	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
17	तुलसीकेरे	कोलेगल	चमराजनगर	181.194	12	0	19.68	77	37	2.72	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
18	मेदुगुनी	कोलेगल	चमराजनगर	28.901	11	59	59.16	77	35	52.16	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
19	कोमबुदुकी	कोलेगल	चमराजनगर	116.988	12	0	22.92	77	33	14.12	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
20	तोकेराई	कोलेगल	चमराजनगर	73.259	11	59	36.84	77	32	11.84	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
21	दोद्दाने	कोलेगल	चमराजनगर	92.505	11	57	36.24	77	31	43.04	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
22	मरताल्ली	कोलेगल	चमराजनगर	1615.36	11	59	32.52	77	30	26.00	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
23	हुगयाम	कोलेगल	चमराजनगर	2679.177	11	50	32.16	77	27	54.80	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
24	मिन्नियाम	कोलेगल	चमराजनगर	1036.6	11	49	20.52	77	21	6.56	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
25	दिन्नाल्ली	कोलेगल	चमराजनगर	905.142	11	55	45.36	77	21	9.80	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
26	पचहेदोद्दी	कोलेगल	चमराजनगर	171.245	12	1	24.84	77	19	0.56	पूर्ण ग्राम (संलग्न)
			कुल:	**14312.94**							

* मलाई महादेश्वरा संलग्न से संबंधित लगभग 104 एकड़ (42.08 हेक्टेयर) का क्षेत्र पारिस्थितिक संवेदी जोन से बाहर रखा गया है ताकि भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरण के विकास के लिए विकास किया जा सके।

उपाबंध -V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2017

S.O. 3031(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O 1274 (E), dated 31st March, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette were made available to the public on the dated 31st March, 2016;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary was notified vide notification No: FEE 90 WL 2013 dated 07.05.2013 situated in Chamrajanagara district (HanurTaluk) of Karnataka State situated between the North Latitudes 11°44'54.29"N to 12° 9'32.51"N and the East Longitudes 77°15'28.54"E to 77°40'6.35"E is spread over an area of 906.187 square kilometers;

AND WHEREAS, Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary forms important part of the savannah woodland forests of Karnataka and also forms part of the Mysore Elephant Reserve declared by Project Elephant which supports good densities of Asian elephants depicting the ecological importance of the Sanctuary and recently tigers have also been documented in this Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the western side of the Sanctuary is connected to Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve through a very narrow corridor, southern side is connected to Satyamangalam Tiger Reserve (1,411.6 square kilometres) and eastern part is connected to North Baragur Reserve Forest (451.5 square kilometres) both of which are in Tamil Nadu which forms a contiguous habitat for wide ranging species in over 3,000 square kilometres, one of the largest in the country where some of the large mammals are found which include tiger, leopard, wild dog, striped hyena, sloth bear, elephant, gaur, sambar, chital and four-horned antelope, smooth coated-otter and marsh crocodile are two important riverine wildlife species and the sanctuary is also famous for the endangered fish Deccan Mahasheer, the River Paalar flows through the Sanctuary and forms the interstate boundary on the eastern side of the Sanctuary, and there are 19 enclosure villages inside the Sanctuary;

AND WHEREAS, RET species of flora found in Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary are Bilvapathre (*Aeglemarmelos),*Dindiga (Anogeissiuslatifolia), Muttuga (*Buteamonosperma*), Urugalu (*CholeoxylonSwictenia*), Beete (*Dalbergialatifolia*), Kamara (*Hardiwiekeabinata*), Honne(*Pterocarpusmarsupium*), Shrigandha (*Santalum album*), Sagade(*Schleicheraoleosa*), Matti (*Terminaliatomentosa*), Tare (*Terminaliabellerica*), Hale, Halgouri (*Wrightiatinctoria*), Jalari (*Shorea)*etc.;

AND WHEREAS, RET species of mammals & reptiles found in Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary are Indian wild dog or dhole (*Cuon alpines*), Golden jackal (*Canisaureus*), Striped hyaena (*Hyaenahyaena*), Sloth bear (*Melursusursinus*), Jungle cat (*Felischaus*), Rusty-spotted cat (*Prionailurusrubiginosus*), Smooth-coated otter (*Lutrogaleperspicillata*), Oriental small-clawed otter (*Aonyxcinerea),* Common otter (*Lutralutra*), Honey badger (*Mellivoracapensis*), Indian porcupine (*Hystrixindica*), Indian pangolin (*Maniscrassicaudata*), Small Indian civet (*Viverriculaindica*), Common palm civet (*Paradoxurus hermaphrodites*), Ruddy mangoose (*Herpestessmithii*), Stripe-necked Mongoose (*Herpestesvitticolis*), Grey mongoose (*Herpestesedwardsii*), Asian elephant (*Elephasmaximus*), Gaur (*Bosgaurus*), Sambar (*Rusa unicolor*), Chital (*Axis axis*), Four horned antelope (*Tetracerusquadricornis*), Blackbuck (*Antilopecervicapra*), Wild pig (Susscrofa), Indian muntjac (Muntiacusmuntjak), Indian Spotted chevrotain (*Moschiolaindica*), Southern plains gray langur (*Semnopithecusdussumieri*), Bonnet macaque (*Macacaradiata*), Black-naped hare (*Lepusnigricollis*), Grizzled giant squirrel (*Ratufamacroura*), Indian giant flying squirrel (*Petauristaphilippensis*), Madras tree shrew (*Anathanaellioti*), Marsh crocodile (*Crocodyluspalustris*), Indian monitor lizard (*Varanusbengalensis*), Deccan mahseer (*Tor khudree*), Indian fox (*Vulpesbengalensis*), Brown Mongoose (*Herpestessp*) etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the geographical area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view, to conserve and protect the biodiversity and wildlife therein and its environment and to prohibit industries or

class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone to protect wildlife and their habitat therein or its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.45 Kilometer to 4.20 Kilometers around the boundary of MalaiMahadeshwara Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the MalaiMahadeshwara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

(1) **Extent and Boundary of Eco-Sensitive Zone.- (1)** The Eco-Sensitive Zone is spread over an area 143.12 square kilometres with an extent varying from 0.45 Kilometer to 4.20 Kilometers around the boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary and the boundary details of such Zone are given in **Annexure-I**. The Eco-sensitive Zone of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary is spread in 08 revenue villages and 18 enclosure villages in Kollegal Taluka of Chamarajanagara District. The Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary and BRT Tiger Reserve overlaps with the villages adjacent to Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary, which have not been included in the eco-sensitive zone of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary. There are no Reserve Forests within the Eco-sensitive Zone of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary.

(2) The map of Eco-sensitive Zone boundary with latitudes longitudes is appended as **Annexure -II.**

(3) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure-III.**

(4) The list of 26 villages (Enclosure & Revenue villages) and the details of areas falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture and Horticulture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism including eco-tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal and urban development;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and

moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.—**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated as per applicable laws.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control

		Board of February 2016; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities listed in this Notification. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per applicable laws.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per applicable laws for use of locals.

23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated as per applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated as per applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per applicable laws.
	C. Promoted Activities	
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:—

(i) Regional Commissioner, Mysuru -Chairman;

(ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Hanur Constituency, Chamarajanagar District -Member;

(iii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;

(iv) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka -Member;

(v) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India -Member;

(vi) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysuru -Member;

(vii) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India -Member;

(viii) Deputy Commissioner or his representative, Chamarajanagar -Member;

(ix) Biodiversity Expert -Member;

(x) The Deputy Conservator of Forests, Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary, Kollegala -Member Secretary.

Note: Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the state Govt.

(3) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/162/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE – I

Boundary Description of Eco-sensitive Zone of Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary

Most of the village areas in the fringes (outside) the Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary which are supposed to be included in the eco-sensitive zone of the Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary are already included with in the eco-sensitive zone boundary limits of B.R.T Wildlife Sanctuary on the eastern part and by the Cauvery Wildlife Sanctuary on the northern part (some portion) & the remaining northern portion of the Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary is contiguous with the Cauvery Wildlife Sanctuary. The southern portion of the entire Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary forms interstate boundary between Karnataka & Tamil Nadu States. Hence, the Tamil nadu Forests Department authorities has been requested to maintain eco-sensitive zone as per the Ministry of Environment of Forests, New Delhi directions/guidelines vide letter no. FN 1-9/2007 WL I(Pt) dated: 09.02.2011.Further, all enclosures within the three Reserved Forests namely, M.M.Hills Reserve Forest, Edayarahalli Reserve Forest and Hanur Reseved Forest forming MalaiMahadeshwara Wildlife Sanctuary are included as eco-sensitive zone to maintain the ecological integrity of the Sanctuary.

The revenue areas included with in the eco-sensitive zone of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary are divided into two parts namely **PART-I and PART-II** as these two parts are separated at the northern portion of Hanur Reserved Forest as the part of eco-sensitive zone of Cauvery Wildlife Sanctuary is overlapping/coinciding with the boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary on the northern part of Hanur Reserve Forest.

South: The boundary point starts at a point on the eastern portion of Hanur Reserve Forest with co-ordinates N 12°02’ 49” E 77° 17’ 16” and runs westwards all along the southern boundary of Hanur village through the outer boundary of Sy. Nos. 355, 175, 176, 147, 150, 198, 200, 201, 14, 204, 203, 205, 221, 168, 222, 234 & 235 till it reaches bi-junction point of Sy. Nos. 235 & 167 of Hanur & Belathur villages respectively on the common village boundary with co-ordinates N 12° 02’ 58” E 77° 15’ 51”.

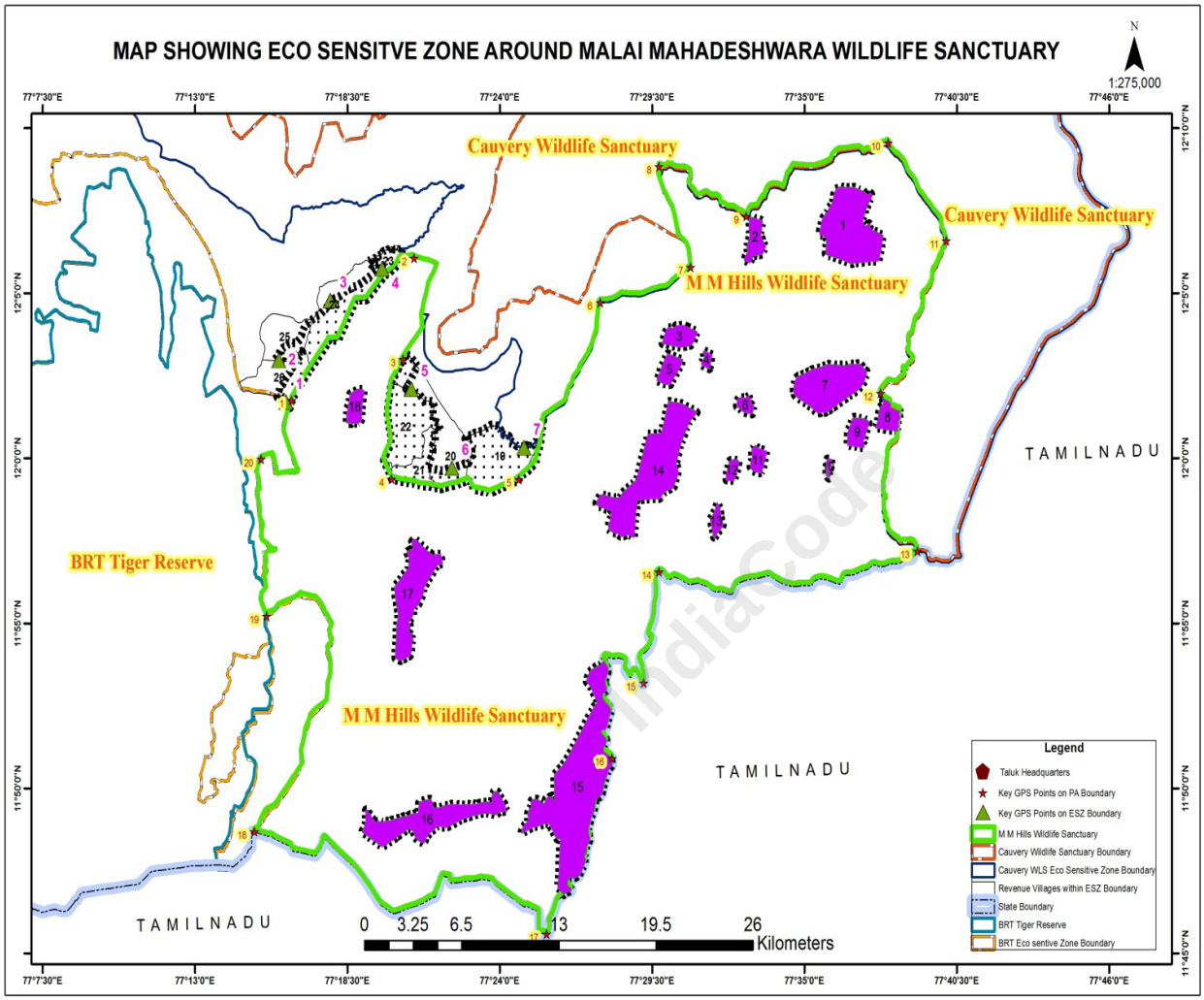
West: From the above co-ordinate the boundary runs in north-east direction all along the Lokkanahalli-Hanur Major District road leading to Hanur town till it reaches the tri-junction point of Belathur, Hanur & Uddanur villages. From this point the line runs along same road further in north-east direction through Hanur village till it reaches point with co-ordinates N 12° 04’ 50” E 77° 18’ 02”. From this point the line continues to run along the same road leading to Kaudalli in north-east direction till it reaches tri-junction point of Sy. Nos. 496 & 412 of Hanur village and Sy.No.213 of Doddamaridevarayasamundra village on the common village boundary of Hanur & Doddamaridevarayasamundra villages. Then the line runs northwards for some distance and then passes along the northern portion of Hanur village along the inter village boundary westwards till reaches a point on the stream with co-ordinates N 12° 05’ 58” E 77° 19’ 16”.

North: Then the line runs along the stream on the common village boundary of Doddamaridevarayasamundra, Bathuguppa & Chengarahalli villages till it reaches a point with co-ordinates N 12° 06’ 22” E 77° 20’ 27”. Then the line descends southwards along the Eco-sensitive zone boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary to reach the north-eastern most tip of Hanur Reserved Forest.

North and East: The point starts at a point on the boundary of Hanur Reserve Forest with co-ordinates N 12° 03’ 09” E 77° 20’ 30” and then continues in south-east direction all along the Hanur-Ramapuram road till it reaches a point on common village boundary of Ajjipuram & Ramapuram villages with co-ordinates N 12° 00’ 38” E 77° 22’ 46”. Then the line continues along the north-east direction along the common village boundary of Ajjipuram & Ramapuram till it reaches a tri-junction point of Ajjipuram, Ramapuram & Chengarahalli villages. Then the line descends in south-east direction along the common village boundary of Ramapuram & Chengarahalli villages till it reaches a point with co-ordinates N 12° 00’ 43” E 77° 24’ 05”. Further, the boundary line continues to run along the common village boundary of Ramapuram & Chengarahalli villages till it reaches the north-eastern most tip of Chengarahalli & Ramapuram villages on Edayarahalli Reserve Forest boundary with co-ordinates N 12° 00’ 28” E 77° 25’ 28”. Gramathana limits of Ajjipura and Ramapura villages does not fall under Eco-sensitive Zone.

ANNEXURE-II

Map showing Eco-sensitive Zone around Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary.



ANNEXURE-III

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary.

Map id	Latitude	Longitude
1	12° 01' 45"	77° 16' 29"
2	12° 06' 03"	77° 20' 54"
3	12° 03' 00"	77° 20' 30"
4	12° 59' 22"	77° 20' 05"
5	12° 59' 21"	77° 24' 41"
6	12° 04' 42"	77° 27' 37"

7	12° 05' 47"	77° 30' 53"
8	12° 08' 50"	77° 29' 45"
9	12° 07' 19"	77° 32' 54"
10	12° 09' 33"	77° 38' 01"
11	12° 06' 35"	77° 40' 07"
12	12° 01' 58"	77° 37' 44"
13	12° 57' 11"	77° 39' 39"
14	12° 56' 56"	77° 29' 45"
15	12° 53' 11"	77° 29' 11"
16	12° 50' 54"	77° 28' 03"
17	12° 45' 34"	77° 25' 41"
18	12° 48' 40"	77° 15' 08"
19	12° 55' 12"	77° 15' 34"
20	12° 59' 57"	77° 15' 22"

Table showing Geo Coordinates of major points on the Eco-sensitive Zone boundary around Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary

Map id	Latitude	Longitude
1	12° 01' 31"	77° 16' 25"
2	12° 02' 18"	77° 14' 35"
3	12° 04' 55"	77° 15' 41"
4	12° 05' 00"	77° 18' 23"
5	12° 05' 58"	77° 19' 14"
6	12° 06' 21"	77° 20' 28"
7	12° 02' 56"	77° 20' 39"
8	12° 00' 09"	77° 23' 13"
9	12° 59' 49"	77° 24' 24"

IndiaCode

ANNEXURE-IV

The Eco-sensitive zone of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary consists of following twenty six villages (including 18 enclosure villages) falling under Kollegal Taluk. The total geographical area of Eco-sensitive Zone is 143.12 square kilometre Details of revenue villages and Enclosure villages within Eco-sensitive Zone Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary

Map id	Village name	Taluk	District	Extent (ha)	Latitude			Longitude			Remarks
					Deg	Mins	Secs	Deg	Mins	Sec	
1	Ramapuram	Kollegal	Chamarajanagar	1062.68	12	0	59.57	77	23	40.72	Partial village
2	Ajjipuram	Kollegal	Chamarajanagar	366.1	11	59	22.80	77	22	0.92	Partial village
3	Gangandoddi	Kollegal	Chamarajanagar	408.307	12	0	42.82	77	21	39.48	Partial village
4	Suleripalaiyam	Kollegal	Chamarajanagar	1051.38	12	1	41.61	77	21	34.68	Partial village
5	Doddamaridevaraya samundram	Kollegal	Chamarajanagar	172.584	12	6	8.92	77	19	39.05	Partial village
6	Hanur	Kollegal	Chamarajanagar	812.965	12	4	46.80	77	17	52.52	Partial village
7	Belattur	Kollegal	Chamarajanagar	180.748	12	3	39.86	77	16	11.79	Partial village
8	Siragodu	Kollegal	Chamarajanagar	292.5	12	1	52.40	77	16	25.40	Partial village
9	Ponnachi	Kollegal	Chamarajanagar	1270.9	12	7	4.68	77	37	2.00	Entire village (Enclosure)
10	Chengadi	Kollegal	Chamarajanagar	209.558	12	6	48.12	77	33	25.28	Entire village (Enclosure)
11	Odakihalla	Kollegal	Chamarajanagar	209.403	12	4	2.16	77	30	33.20	Entire village (Enclosure)
12	Elchikere	Kollegal	Chamarajanagar	45.777	12	3	7.80	77	31	39.80	Entire village (Enclosure)

13	Bidarahalli	Kollegal	Chamarajanagar	170.615	12	2	43.68	77	29	48.92	Entire village (Enclosure)
14	Kokkubore	Kollegal	Chamarajanagar	78.345	12	1	36.86	77	32	52.01	Entire village (Enclosure)
15	MalaiMahadeshwara	Kollegal	Chamarajanagar	894.974	12	2	50.88	77	35	56.12	***Entire village (Enclosure)**
16	Indiganatha	Kollegal	Chamarajanagar	185.734	12	1	47.88	77	37	53.84	Entire village (Enclosure)
17	Tulsikere	Kollegal	Chamarajanagar	181.194	12	0	19.68	77	37	2.72	Entire village (Enclosure)
18	Meduguni	Kollegal	Chamarajanagar	28.901	11	59	59.16	77	35	52.16	Entire village (Enclosure)
19	Kombutuki	Kollegal	Chamarajanagar	116.988	12	0	22.92	77	33	14.12	Entire village (Enclosure)
20	Tokerai	Kollegal	Chamarajanagar	73.259	11	59	36.84	77	32	11.84	Entire village (Enclosure)
21	Doddane	Kollegal	Chamarajanagar	92.505	11	57	36.24	77	31	43.04	Entire village (Enclosure)
22	Martalli	Kollegal	Chamarajanagar	1615.36	11	59	32.52	77	30	26.00	Entire village (Enclosure)
23	Hoogyam	Kollegal	Chamarajanagar	2679.177	11	50	32.16	77	27	54.80	Entire village (Enclosure)
24	Minniyam	Kollegal	Chamarajanagar	1036.6	11	49	20.52	77	21	6.56	Entire village (Enclosure)
25	Dinnalli	Kollegal	Chamarajanagar	905.142	11	55	45.36	77	21	9.80	Entire village (Enclosure)
26	Pacchedoddi	Kollegal	Chamarajanagar	171.245	12	1	24.84	77	19	0.56	Entire village (Enclosure)
			Total:	**14312.94**							

* An area of about 104 acres (42.08 Ha) pertaining to Malai Mahadeshwara enclosure is excluded from Eco-sensitive Zone for future developments with sound eco-friendly norms.

ANNEXURE – V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record:Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.09.16 11:19:30 +05'30'